30-3-17 वकील उभयपक्ष उप० है। विभाजन स्कीम अप्राप्त। विभाजन स्कीम चाही जाकर पत्रा० दि० 24-4-17 को पेश हो।

24-4-17 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० है विभाजन स्कीम अप्राप्त। विभाजन स्कीम चाही जाकर पत्रावली दि० 16-5-17 को पेश हो। 25-47-51

8-6-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बाढकलां पर पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 उपस्थित है। पक्षकारो ने राजीनामा पेशकर ~~अनुसार~~ विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने हेतु निवेदन किया है।

अत: वादीगण का दावा राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) जमीनी केदार लहरी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट

(बाबूलाल जाट)

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
54/2016	28.6.2016	8.6.2017

1. हंसराज पुत्र रामसहाय, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. केदार पुत्र रामसहाय, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी

––वादीगण

बनाम

1. लहरी पुत्र रामसहाय माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, गंगापुर सिटी
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–श्री हंसराज माली, श्री केदार माली वादीगण
श्री लहरी पुत्र रामसहाय माली, प्रतिवादी नं0 1

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण हंसराज वगैरा की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादी संख्या 2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी के यहां गिरवी रखी हुई है इसलिए बैंक को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से मौके पर भूमि को पृथक पृथक रूप से बांट रखा है एवं उसी अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। मौखिक विभाजन के अनुसार ख0नं0 423 सम्पूर्ण एवं 759 में से 17 एयर भूमि वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित स्थान तक वादी संख्या 1 के हिस्से में आई है । वादी संख्या 1 ने ख0नं0 423 में पुख्ता चाह का भी निर्माण कर रखा है। वादपत्र में लालरंग से दर्शित स्थान तक ख0नं0 759 में से 19 एयर भूमि वादी संख्या 2 के हिस्से में आई है तथा ख0नं0 759 में सफेद रंग से दर्शित स्थान में 19 एयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है तथा इसी अनुसार पक्षकार मौके पर भूमि काश्त करते आ रहे हैं। भूमि सहखातेदारी में बने रहने से आये दिन विवाद होते रहते हैं इसलिए भूमि का विभाजन होना आवश्यक है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 डिक्री किया जाकर भूमि हाल ख0नं0 759 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 423 रकबा 0.03 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य उनके कब्जे अनुसार पृथक पृथक विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा न करे एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रतिवादी नं0 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

दिनांक 29.11.2016 को वादीगण मय वकील एवं प्रतिवादी सं0 1 स्वयं अदालत में उपस्थित हुए तथा पक्षकारों ने उनके मध्य रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया ।

वादीगण का दावा दिनांक 29.11.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 26.4.2017 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर बाढकलां पर पेश हुई। विभाजन स्कीम पर उभयपक्षकारों को सुना गया। उभयपक्षकारों ने नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने पर अपनी सहमति दी है एवं इस आशय का राजीनामा भी प्रस्तुत किया है। फलस्वरूप नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 423 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 759 रकबा 0.55 हैक्टर ग्राम विदरखा का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता हैः–

1. वादी हंसराज पुत्र रामसहाय जाति माली की खातेदारी में भूमि ख0नं0 423 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 759 रकबा 0.17 हैक्टर ग्राम विदरखा रहेगी ।
2. वादी केदार पुत्र रामसहाय जाति माली की खातेदारी में भूमि ख0नं0 759/1 रकबा 0.19 हैक्टर ग्राम विदरखा रहेगी ।
3. प्रतिवादी लहरी पुत्र रामसहाय जाति माली की खातेदारी में भूमि ख0नं0 759/2 रकबा 0.19 हैक्टर ग्राम विदरखा रहेगी । रहन का इन्द्राज यथावत दर्ज रहेगा।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2017 को लोक अदालत कैम्प बाढकलां में सुनाया गया ।

रविकुमार शर्मा

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी कैम्प बाढकलां
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

1. हंसराज पुत्र रामसहाय, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. केदार पुत्र रामसहाय, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. लहरी पुत्र रामसहाय माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, गंगापुर सिटी
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 54 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हंसराज, केदार माली मिनजानिब मुद्दई श्री लहरी माली मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 423 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 759 रकबा 0.55 हैक्टर ग्राम विदरखा का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

1. वादी हंसराज पुत्र रामसहाय जाति माली की खातेदारी में भूमि ख0नं0 423 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 759 रकबा 0.17 हैक्टर ग्राम विदरखा रहेगी ।
2. वादी केदार पुत्र रामसहाय जाति माली की खातेदारी में भूमि ख0नं0 759 / 1 रकबा 0.19 हैक्टर ग्राम विदरखा रहेगी ।
3. प्रतिवादी लहरी पुत्र रामसहाय जाति माली की खातेदारी में भूमि ख0नं0 759 / 2 रकबा 0.19 हैक्टर ग्राम विदरखा रहेगी । रहन का इन्द्राज यथावत दर्ज रहेगा।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.6.2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह संबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

शा० रहे
8-6-17

प्रपत्र–1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान बांदकलां

नम्बर मुकदमा 54/2016

उनवान मुकदमा

हंसराज वगैरा बनाम लहरी वगैरा
दावा

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान बादकलां

दिनांक 8-6-2017

कैदार
लहरी

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- बाढकलां

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी

दिनांक 8-6-2017

हंसराज वगैरा बनाम लहरी वगैरा

प्रकरण संख्या :- 54/2016 अन्तर्गत धारा 53 R.T.Act.

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री हंसराज, केदार
... है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ... अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। ... आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम से हम पक्षकार सहमत है। इस विभाजन स्कीम के अनुसार हम पक्षकारो के मध्य भूमि का विभाजन कर दिया जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. हंसराज गोठी
2.
3. केदार
4.

प्रतिवादी पक्ष 1.
2. लहरी
3.
4.

... के हस्ताक्षर बुड्डी
नाम [stamp: ग्राम पंचायत बाढकलां]

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ओमप्रकाश
(प्रतिवादी पक्ष) नाम प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाढकलां, गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रार्थी/वादी हंसराज, केदार एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी लहरी
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) रवि कुमार शर्मा
(ह० सदस्य)
(ह० सदस्य)
(ह० सदस्य)

(बाबूलाल जाट)
पीठासीन अधिकारी